

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना।  
सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 05-12-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹4,04,11,568/- (चार करोड़ चार लाख ग्यारह हजार पाँच सौ अड़सठ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड में विभागीय आवंटनादेश संख्या-09(7)ब दिनांक-15.05.17, 44(7)ब दिनांक-17.08.17, 68(7)ब दिनांक-22.09.17, 70(7)ब दिनांक-25.09.17, 88(7)ब दिनांक-16.10.17 एवं 90(7)ब दिनांक-17.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों के लिए कुल ₹4,04,11,568/- (चार करोड़ चार लाख ग्यारह हजार पाँच सौ अड़सठ) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0001-यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210012000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन होंगे तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख,स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।



2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।  
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. बेगुसराय जिला को आवंटित राशि अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (डा० सत्यनारायण सिंह, से०नि० जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बेगुसराय) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें। भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।
12. संबंधित सिविल सर्जन एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /

( सच्चिदानंद चौधरी )  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 99(7) 9

पटना, दिनांक : 05-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03.07 /आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

## विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 (विपत्र कोड 20-22100120000001) में बिहार स्थित यस्मा उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	विधि प्रसार (13-05)	प्रशिक्षण व्यय (20-03)	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अपर निदेशक, यस्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	0	0	0	0	0	0	0	43722	0	0	0	0	0	43722	684/4.11.1
2	अपर मुख्य चि0पदा0, पटना	1120000	1456000	168000	5000	11200	11200	2771400	0	4000	2000	0	0	0	2777400	72/20.10.1
3	अपर मुख्य चि0पदा0, रोहतास	500000	650000	75000	0	5000	6000	1236000	0	0	0	0	0	0	1236000	56/24.8.1
4	अपर मुख्य चि0पदा0, कटिहार	750000	975000	112500	0	7500	9000	1854000	0	0	0	0	30000	0	1884000	114/2.11.1
5	अपर मुख्य चि0पदा0, मधुबनी	800000	1056000	152000	0	8000	9600	2025600	0	0	0	0	0	0	2025600	113/15.9.1
6	अपर मुख्य चि0पदा0, सीतामढ़ी	180000	234000	27000	0	1800	2160	444960	0	5000	0	0	0	0	449960	496/26.9.1
7	अपर मुख्य चि0पदा0, भागलपुर	1200000	1560000	180000	0	12000	14400	2966400	0	0	0	10000	0	0	2976400	573/26.9.1
8	अपर मुख्य चि0पदा0, गया	1000000	1300000	150000	0	10000	12000	2472000	0	0	0	0	0	16500	2488500	94/17.10.1
9	अपर मुख्य चि0पदा0, मुंगेर	1300000	1690000	195000	0	13000	15600	3213600	0	0	0	0	0	0	3213600	382/01.11.1
10	अपर मुख्य चि0पदा0, मुजफ्फरपुर	2000000	2600000	400000	0	40000	40000	5080000	0	0	0	0	0	0	5080000	289/23.10.1
11	अपर मुख्य चि0पदा0, जहानाबाद	2000000	2600000	400000	0	40000	40000	5080000	0	0	0	0	15786	0	5095786	121/19.9.1
12	अपर मुख्य चि0पदा0, मोतिहारी	1200000	1560000	180000	0	12000	14400	2966400	0	0	0	0	5400	0	2971800	247/3.10.1
13	अपर मुख्य चि0पदा0, नालन्दा	1600000	2080000	240000	0	16000	19200	3955200	0	0	0	0	0	0	3955200	402/17.10.1
14	अपर मुख्य चि0पदा0, नवादा	1300000	1690000	195000	0	13000	15600	3213600	0	0	0	0	0	0	3213600	412/9.11.1
15	अपर मुख्य चि0पदा0, बेगूसराय	1200000	1560000	216000	0	12000	12000	3000000	0	0	0	0	0	0	3000000	687(3)/21.11.1
	कुल	16150000	21011000	2690500	5000	201500	221160	40279160	43722	9000	2000	10000	51186	16500	40411568	

(चार करोड़ चार लाख ग्यारह हजार पाँच सौ अड़सठ) रु. मात्र

99(A)A

05-12-17


सरकार के विशेष सचिव 57/2/17

### उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	वजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
		3	4	5	6	7
1	वेतन (0001-01-01)	220000000	180160000	16150000	196310000	23690000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	290000000	234270000	21011000	255281000	34719000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	32500000	27298000	2690500	29988500	2511500
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	2000000	1197000	5000	1202000	798000
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	2500000	1797200	201500	1998700	501300
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	3000000	2151600	221160	2372760	627240
	<b>योग 20-2210.01.200.0001.01 वेतन</b>	<b>550000000</b>	<b>446873800</b>	<b>40279160</b>	<b>487152960</b>	<b>62847040</b>
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	498839	43722	542561	457439
8	यात्रा व्यय (0001-11-01)	250000	126000	9000	135000	115000
9	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	400000	398000	2000	400000	0
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	300000	152500	0	152500	147500
11	दूरभाष (0001-13-03)	200000	136000	0	136000	64000
12	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	5000000	5000000	0	5000000	0
13	विधि प्रभार (0001-13-05)	300000	175000	10000	185000	115000
14	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	200000	200000	0	200000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	200000	100000	0	100000	100000
15	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3000000	0	51186	51186	2948814
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	380000	223000	16500	239500	140500
17	दवा भंडार (0001-21-02)	600000	26780	0	26780	573220
18	आहार / पशु (0001-21-03)	600000	500000	0	500000	100000
19	मशीने एवं उपकरण (0001-52-01)	400000	100000	0	100000	300000
	<b>कुल योग:-</b>	<b>562830000</b>	<b>454509919</b>	<b>40411568</b>	<b>494921487</b>	<b>67908513</b>

99(4)9

05-12-17

  
 सरकार के विशेष सचिव